प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 24.09.2025

"मिशन शक्ति फेस-5" के अंतर्गत थाना कोतवाली शहर/अफ़ज़लगढ़ पुलिस टीम द्वारा जनपद बिजनौर में छात्राओं के साथ प्रभात फेरी निकाली गई। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को आत्मरक्षा, उनके अधिकारों तथा हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090, 181, 112 आदि के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान आत्मविश्वास बढ़ाने वाले संदेश दिए गए और सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझा की गई। पुलिस टीम ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। यह पहल समाज में सुरक्षा व जागरूकता की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

थाना अफजलगढ प्रभात फेरी

अफजलगढ प्रभात फेरी

थाना कोतवाली शहर प्रभात फेरी

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 24.09.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस व अभियोजन कार्यालय द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मात्र 35 दिवस के अन्दर मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिक से छेडछाड के आरोपी अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 19.08.2025 को वादी ने थाना किरतपुर पर अभियुक्त साहनेवाज पुत्र सरताज निवासी मौ0 अहमदखेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने तथा वादी की पुत्री द्वारा विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने आदि आरोप लगाते हुए थाना किरतपुर पर तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 74/351(3)/352 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप (घटना होने के मात्र 35 दिवस के अन्दर) आज दिनांक 24.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 78/351(3)/352 बीएनएस व धारा 8 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त साहनेवाज पुत्र सरताज निवासी मौ0 अहमदखेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

साहनेवाज पुत्र सरताज निवासी मौ0 अहमदखेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक 24.09.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 357/2025 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2025 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त बासु पुत्र नीलू सिह निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर के द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम किया तथा अभियुक्त बासु की माता द्वारा वादिया के परिजनो के साथ गाली गलौच , मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 57/2025 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 24.09.2025 को थाना धामपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त बासु पुत्र नीलू उर्फ राजवीर निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का विवरण –

बासु पुत्र नीलू उर्फ राजवीर निवासी ग्राम सुहागपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार मय थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.का0 2488 अनिल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक 24.09.2025**

थाना नगीना पुलिस ने दो अभियुक्तगणो को चोरी किये गये बैटरे सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

दिनांक 24.09.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.इरशाद पुत्र राशिद निवासी नया गाँव थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 2. परवेज आलम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला मौलवियान थाना नहटौर जनपद बिजनौर को चोरी किये गये बैटरे(01) सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 185/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया । उक्त बैटरे के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0-816/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त का विवरण –

1.इरशाद पुत्र राशिद निवासी नया गाँव थाना कांठ जनपद मुरादाबाद ।

2.परवेज आलम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला मौलवियान थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त परवेज आलम-

1.मु0अ0सं0 326/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2. मु0अ0सं0 528/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3. मु0अ0सं0 379/16 धारा 380/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

4. मु0अ0सं0 480/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

5. मु0अ0सं0 93/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

6. मु0अ0सं0 305/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुक्रमपाल सिंह राणा थाना नगीना जनपद बिजनौर

2. हे0का0 730 विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

3. का0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

4. का0 2243 संदीप कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर

5. का0 1056 अंकित सोलानिया थाना नगीना बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक - 24.09.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	हीमपुर दीपा	**शमशाद उर्फ पत्तू पुत्र मौ0 शमी निवासी ग्राम रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना नूरपुर **दिनाँक – 24.09.2025**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 295/2025 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.2025 को वादिया ने थाना नूरपुर पर लिखित तहरीर दी कि वादिया की दो नाबालिग पुत्रियों को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 295/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त शिवम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया। थाना नूरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 02.09.2025 को वादिया की दोनो पुत्रियों बरामद किया गया।

कृत कार्यवाही-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 177/2024 धारा 363/376(3) भादवि व 3/4(2) पोक्सो एक्ट व 3(2)(v)एससी एसटी एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 295/2025 धारा 137(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री राजवीर सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 152 अनूप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट थाना नूरपुर दिनाँक – 24.09.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/2025 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त दरांती सहित किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.09.2025 को वादी पवन कुमार पुत्र स्व0 हरपाल सिंह निवासी ग्राम धौलागढ़ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अमित पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धौलागढ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व मोनिका पत्नी अमित द्वारा वादी की माता श्रीमती कैलाशो देवी के साथ मारपीट व गाली गलौच करते हुए दरांती से वार किया गया जिससे वादी की माता को गम्भीर चोटें आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 115(2)/352/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग उपरोक्त में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही विवरण-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धौलागढ़ थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक दरांती सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 392/19 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 315/2025 धारा 109(1)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 2049 बोबी कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।